क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीयागण स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 10 एस.बी.एन के खाता सं0 71/62 प0न0 187/204 मु0 30 किलानं0 1 ता 4/1.012, 5/.190 कुल 1.202 है0 आराजी की वादीयागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने तथा शेष खाता बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner